

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 223/2019

दायर दिनांक 25.09.2019

वादी

प्रतिवादीगण

1. अहमद अली पुत्र उमर खां
जाति शैरानी निवासी शैरानी
आबाद तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

1. मो0 रफीक पुत्र अब्दुल मजीद
2. मो0 लतीफ पुत्र अब्दुल मजीद
3. अ0 करीम पुत्र अब्दुल मजीद
4. जुनेज आलम पुत्र अब्दुल मजीद
5. अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल मजीद
6. जेनब बानों उर्फ जैना पत्नी अब्दुल मजीद
7. मुन्नी उर्फ नसीम बानों पुत्री अब्दुल मजीद
8. जेबुन उर्फ जेबन पुत्री अब्दुल मजीद
9. गुलाबबानों पुत्री अब्दुल मजीद समस्त
जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. मैनेजर यूको बैंक शैरानी आबाद
11. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88 R.T.Act.

उपस्थित:-


1. श्री केशव औझा वकील, वादी।
2. श्री दातारसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की ओर से।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 28.04.2022

वादी का खातेदारी वाके सरहद शैरानी आबाद खेत खसरा सं0 1150/294 रकबा 19.1000 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 05.11.2019 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 2036 दिनांक 10.12.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2036 दिनांक 10.12.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शेरानी आबाद खेत खसरा सं0 1150/294 रकबा 19.1000 हैक्टयर भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2036 दिनांक 10.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2036 दिनांक 10.12.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।



(कार्तिकेय मीणा)

R.A.S.

सहायक कलक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।



(कार्तिकेय मीणा)

R.A.S.

सहायक कलक्टर

डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 223/2019

दायर दिनांक 25.09.2019

वादी

1. अहमद अली पुत्र उमर
खां जाति शैरानी निवासी
शैरानी आबाद
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. मो0 रफीक पुत्र अब्दुल मजीद
2. मो0 लतीफ पुत्र अब्दुल मजीद
3. अ0 करीम पुत्र अब्दुल मजीद
4. जुनेज आलम पुत्र अब्दुल मजीद
5. अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल मजीद
6. जेनब बानों उर्फ जैना पत्नी अब्दुल मजीद
7. मुन्नी उर्फ नसीम बानों पुत्री अब्दुल मजीद
8. जेबुन उर्फ जेबन पुत्री अब्दुल मजीद
9. गुलाबबानों पुत्री अब्दुल मजीद समस्त जाति
शैरानी निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0
10. मैनेजर यूको बैंक शैरानी आबाद
11. तहसीलदार, डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 28.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई श्री केशव औझा वकील, वादी व श्री दातारसिंह, वकील,
प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है
कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शैरानी आबाद खेत खसरा सं0
1150/294 रकबा 19.1000 हैक्टयर भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर,
इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव
जरिये पत्रांक: 2036 दिनांक 10.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को
स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2036 दिनांक 10.12.2019 निर्णय एवं
डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.04.2022 को सरे
इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना